



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 -Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]
No. 136]

नई दिल्ली, मगलवार, अप्रैल 12, 1983/चैत्र 22, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1983/CHAITRA 22, 1905

इस भाग में इन पृष्ठ सख्त दो जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विदेश संबंधालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 अप्रैल 1983

सांकेतिक 325(ज) - पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का
1 वा) की धारा 24 द्वारा "प्रदन गविन्यो का प्रयोग करने हुए केंद्र
सरकार, इमार द्वारा, पासपोर्ट नियम वर्ता 1950 से आगे मानावन करने
के लिये निम्नलिखित नियम बनाए हैं यथा --

(1) (1) ये नियम पासपोर्ट (मणिप्रद) नियम बना, 1950 कहनायेंगे।

(2) ये सरकार राजाल में प्रकाशन की तरीख से नागू हो
जाएँगे।

पासपोर्ट नियमावली 1950 का अनुसूची 1 में --

(1) ये मूल 2 के मानने कालम (3) के अन्तर्गत लिखा शब्द
विपुण जहा लागू हो निकाल दिया जाए,

(2) ये मूल 5 के मानने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित
प्रविष्टियों रखी जाए, यथा —

1	2	3
"5(1) (क) धनीय पासपोर्ट अधिकारी तमिलनाडु का — राज्य (तजावूर, मद्रास (धनीय एवं सपाट एवं उत्प्रवास विस्चिनगपल्ली पुडकाटूर, मदूराइ, वायालय मद्रास) र मनाथपुरम तिस्तनेलवेलिल और वन्याकमारी क जिलो का छोडकर) और पाडिचेरी सब र ज्य क्षेत्र (महिं जिल का छोडकर)		

(ख) उत्प्रवास सपाट अधिकारी,
मद्रास (धनीय पासपोर्ट एवं
उत्प्रवास सपाट मद्रास)।

—वही—

(ग) जन सपाट अधिकारी मद्रास
धनीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास वाया
रप मद्रास)।

—वही—

(घ) अवीक्षक मद्रास (धनीय
पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कायालय
मद्रास)।

—वही—

5 (ii) (क) प्रमोटर अधिकारी, निम्नलिखित विभागों के मर्यादा, निर्वाचन विभाग, पड़ोसी प्रदेश, स्थानीय और नियन्त्रित जन, नियन्त्रित जन, जन एवं उनके जिले।

(ख) अन्य संपर्क अधिकारी, नियन्त्रित विभागों (प्रमोटर अधिकारी, नियन्त्रित विभागों)

बही—

(ग) अधिकारी, नियन्त्रित प्रदेश (प्रमोटर अधिकारी, नियन्त्रित प्रदेश)

बही—

6 उनमें 15 के माने, कालम : से अप्रैल, नवंबर एवं लैण्ट के बजाय गवाह के राजनीति, अवस्था, नियाय, नगर लैण्ट एवं इन्हें जावें।

[N.O. V. IV/553/3/82]

१० अनुशासन, स्थानीय समिति

टिप्पणी— ५४० के मार्ग के अन्तर्गत अधिकारी के जान II खड़ ३ उन खड़ (i) में अधिसूचन में मार्ग का ५० (अ) दिनांक ११ दिसम्बर, १९८० द्वारा प्रकाशित प्रथम नियम।

बाद में नियन्त्रित होने वाले मार्गोंमें—

(i) अधिसूचन में मार्ग का ५० (अ) दिनांक ७ फरवरी, १९८१

(ii) अधिसूचन में मार्ग का ५० (अ) दिनांक २५ जून, १९८२

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1983

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Schedule I to the Passports Rules, 1980—

(1) against Sl. No. 2, under column (3), in the entries, the word 'Tripura' wherever applicable, shall be omitted;

(2) for entries against Sl. No. 5, the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
5(i) (a) Regional Passport Office, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	The State of Tamil Nadu (excluding the Districts of Thanjavur, Tiruchirappalli, Pudukkottai, Madurai, Ramanathapuram, Tirunelveli and Kanyakumari) and the Union Territory of Puducherry (excluding the district of Mahe).	-do-
(b) Assistant Passport Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	-do-	-do-
(c) Public Relations Officer, Madras (Regional Passport, and Emigration Office, Madras)	-do-	-do-
(d) Superintendent, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras)	-do-	-do-
5(ii) (a) Passport Officer, Tiruchirapalli (Passport Office, Tiruchirapalli).	The districts of Thanjavur, Tiruchirappalli, Pudukkottai, Madurai, Ramanathapuram, Tirunelveli and Kanyakumari in the State of Tamil Nadu.	-do-
(b) Public Relations Officer, Tiruchirapalli (Passport Office, Tiruchirapalli)	-do-	-do-
(c) Superintendent, Tiruchirapalli (Passport Office, Tiruchirapalli)	-do-	-do-

3. Against Sl. No. 15, in column 3 for the words "The States of Assam, Nagaland", the words "The States of Assam, Tripura, Nagaland", shall be substituted.

[N.O. V.IV/553/3/82]
P. S. SAHAI, Jt. Secy.

Note : Principal rules published vide Notification No. GSR 691(E) dated 11th December, 1980, Gazette of India 1980 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i).

Subsequently amended by :—

- (i) Notification No. GSR. 59(E), dated 7th Feb. 1981,
- (ii) Notification No. GSR. 469(E) dated 24th June, 1982.